जागृति स्वर्णकार फाउण्डेशन
पदाधिकारियों के लिए दिशा–निर्देश

1– संस्थापक एवं अध्यक्ष :–

(क)– साधारण सभा और समिति की कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और कार्य सुचारू रूप से चलाने के आदेश देना।

(ख)– समिति सभी कार्यो एवं सदस्यों की देखभाल करेगा।

(ग)– बराबर मत जाने पर अध्यक्ष को अपना एक कास्टिंग वोट देने का अधिकार होगा।

(घ)– अध्यक्ष कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर आल इण्डिया के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आल इण्डिया स्तर तथा प्रदेश स्तर, ब्लाक स्तर पर अस्थाई पद पर नियुक्त कर सकता है।

(ड)– आवश्यकता पड़ने पर समिति कार्य हेतु रू0 –10000/– व्यय कर सकता है, वह किसी से अनुमति नहीं लेगा।

(च)– कार्यकारिणी कोई भी निर्णय बिना अध्यक्ष की अनुमति के नहीं लेगा।

(द्द)– संस्था को दान–अनुदान व चन्दा लेने का अधिकार अध्यक्ष को होगा।

(ज)– संस्था के पदाधिकारी एवं सदस्य किसी गलत कार्यो में लिप्त पाये जाने व गलत प्रचार– प्रसार व आपराधिक कार्यो में लिप्त पाया जाता है, तो निकालने का अधिकार अध्यक्ष को होगा। जिसकी संस्था की जवाबदेही नहीं होगा।

2– उपाध्यक्ष :–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यक्रमों को पूरा करेगा और उनको अपना पूर्ण सहयोग देगा।

3– सचिव :–

(क)– कार्यकारिणी की साधारण सभा एवं कार्यकारिणी की बैठकों को बुलाना, कार्यवाही लिखना , नियमों को कियान्वित करना, हर किस्म के पत्र व्यवहार करना और प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से चलाना होगा।

(ख)– वार्षिक विवरण तैयार करके साधारण सभा में प्रस्तुत करेंगे।
(ग)– समस्त सदस्यों का विवरण रखेंगे, आवश्यकता पड़ने पर समिति के कार्य के लिए रू0 5000/– तक व्यय कर सकेंगे। इससे अधिक व्यय के लिए कार्यकारिणी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

4– सहसचिव :–

महासचिव की अनुपस्थिति में यह मीटिंग का आयोजन करेगा, मीटिंग के आयोजन में सदस्यों को एकत्रित करेगा, तथा मीटिंग सम्मेलनों का कार्यभार लेंगें और देंगें।

5– कोषाध्यक्ष :–

(क)– यह समिति की आय–व्यय का हिसाब–किताब सुचारू रूप से रखेगा।
(ख)– अध्यक्ष, महासचिव, कार्यकारिणी द्वारा सभी बिलों का भुगतान रसीद लेकर करेंगे।
(ग)– चन्दा इकट्ठा करेंगे।
(घ)– आवश्यकता पड़ने पर समिति के कार्य के हेतु रू0 5000/– तक व्यय कर सकेंगे। इससे अधिक खर्च के लिए कार्यकारिणी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

6– संगठन मंत्री :–

संस्था के हित में कार्य करना। संस्था के पदाधिकारियों व सदस्यों को संगठित करना।

7– व्यवस्था मंत्री :–

संस्था के हर कार्यक्रम में व्यवस्था बनाए रखना–व देखभाल करना।

8– मीडिया प्रभारी :–

संस्था के हर पदाधिकारी व सदस्य को ही हर प्रकार की सूचना प्रदान करना।

9– संरक्षक:–

संगठन के प्रति सामाजिक सदभावना को बनाए रखना और संगठन

की रक्षा के लिए तत्पर रहना।

10– **संयोजक मंत्री** :– संगठन में सभी पदाधिकारियों को जोड़ने का काम करेंगें।

11– **प्रवक्ता** :– संगठन के कार्य और विचारों को मीडिया एवं मंच के द्वारा जनता को लगातार संदेश देने का काम करेंगे।

12– **कानुनी सलाहकार** :– नगर ,तहसील , ब्लॉक , जिला–प्रदेश और राष्ट्र स्तर पर नियुक्त किये जाएंगे, जो आपको समय–समय पर बिजनेश से सम्बन्धित और बिजनेश में आ रही समस्याओं से सम्बन्धित समस्या का निराकरण करेंगे :–

–: धन्यवाद :–

हम हैं सदा आपके साथ

जागृति स्वर्णकार फाउण्डेशन

मो0 नं0:– 8126611810